न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी श्री नवनीत कुमार, आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 37 / 2023 / बाड़मेर

अपीलांटस	**रेस्पोडेंटगण**
1. छतराराम पुत्र आदाराम 2. चेनाराम पुत्र आदाराम जाति जाट निवासी कंवरली	1. गंगाराम पुत्र आदाराम 2. कानाराम पुत्र हरचंदराम 3. बाबुलाल पुत्र हरचंदराम 4. भूराराम पुत्र लच्छाराम 5. मेहराराम पुत्र लच्छाराम 6. रामाराम पुत्र उतमाराम 7. अचलाराम पुत्र गोदपुत्र रतनाराम पुत्र जोराराम जाति जाट निवासी कंवरली तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर 8. मैनेजर एस.बी.आई. शाखा पाटोदी 9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपदरा 10. भंवराराम पुत्र भगाराम 11. चेनीदेवी बेवा भगवानाराम जाति जाट निवासी कंवरली

अपोल अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर, बालोतरा द्वारा राजस्व वाद संख्या 187 / 2017 बअनवान गंगाराम बनाम भंवराराम वगैरह में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.01.2023 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री अचलाराम थोरी अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री उगराराम सहारण रेस्पोडेंट संख्या 01 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः—02.04.2025

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि उतरदाता संख्या 01 के द्वारा अपीलांट के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय में एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि सरहद मौजा कंवरली पटवार क्षेत्र कालेवा में कृषि भूमि खेत खसरा संख्या 47 रकबा 309.06 बीघा, खसरा संख्या 202 / 7 रकबा 27.19 बीघा, खसरा संख्या 45 रकबा 04 बिस्वा, खसरा संख्या 46 रकबा 11 बिस्वा अवस्थित रही है। जिसमें वादी का 1 / 8

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

हिस्सा संयुक्त खातेदारी का है। मौखिक व पारिवारिक बंटवारा अनुसार अपने अपने हक हिस्से की भूमि पर काश्त करते थे। हिस्से की सीमाओं को लेकर आपसी विवाद होता रहा। माफिक सहमति बंटवारा नहीं होने से हस्तगत वाद पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ होने से काबिल निरस्त योग्य है, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

अपीलांटगण के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि हस्तगत वादपत्र प्रस्तुत करने से वर्षों पहले अपीलकर्तागण/प्रतिवादी संख्या 03 व 04 मौके पर काबिज रहकर काश्त कर रहे हैं तथा मौके पर रहवासीय ढाणी, आवागमन के रास्ते, पानी के टांके, पशुओं के बाड़े विद्यमान थे को यथा संभव यथावत रखते हुए विभाजन की कार्यवाही स्वयं भूमिधारक को की जानी थी किन्तु भूमिधारक ने अपने आप को सक्षम न्यायालय मानकर जो व्यक्ति डिक्री में पक्षकार ही नहीं था उसके हिस्से का विभाजन कर दिया और अतिरिक्त इसके विभाजन प्रस्ताव के संलग्न नक्शा में कब्जे के विपरीत तरमीम की अनुषंसा की गई जबकि मौके पर भूमिधारक द्वारा की गई अनुषंसा अनुसार तरमीम की जाती है और विभाजन को स्वीकार किया जाता है तो अपीलांट के कब्जे, काश्त, पानी का टांका इत्यादि प्रतिकूल रूप से प्रभावी होंगे। अपीलांट के हक में जो भूमि रखी गई वो कई टुकड़ों में विभक्त करते हुए रखी गई। कुछ भूमि के आवागमन का रास्ता तक नहीं लगता है। अपीलांट के हक में जो भूमि रखी गई वो रेतीले धोरों की अनउपजाऊ भूमि है जो राजस्व रेकर्ड नक्शा में दर्ज कटान रास्ता से बहुत ही दूर अवस्थित है। कटान का आवागमन का रास्ता था उस पर जो भूमि खसरा संख्या 47, 202/47 का भाग था उसमें से 1 इंच भूमि थी अपीलांट को नही दी गई और न ही उसका कोई युक्ति संगत आधार ही दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रारम्भिक डिक्री की पालना में तहसीलदार पचपदरा को विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु अधिकृत किया गया था परन्तु तहसीलदार पचपदरा द्वारा वादग्रस्त खेतों पर जाये बिना ही पटवारी हल्का व आर आई के मार्फत उक्त विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु निर्देशित किया जिस पर पटवारी हल्का द्वारा उतरदाता/वादी के प्रभाव में आकर कब्जा काश्त के विपरीत

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

विभाजन प्रस्ताव तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय जिस विभाजन प्रस्ताव के अनुसार पारित की गई वो मौके पर कब्जा काश्त के विपरीत तैयार किया गया है। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अपीलांट को सुने बिना निर्णय पारित किया गया है। राजस्थान टिनेन्सी (राजस्व मण्डल) 1955 के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न नक्शे पर तहसीलदार द्वारा प्रति हस्ताक्षर किये गये। यह बंटवारा By Metes & Bounds सिद्धांत के आधार पर नहीं किया गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने अपनी बहस करते हुए निवदेन कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। हिस्सों को लेकर अपीलांटस को कोई आपति नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस विभाजन प्रस्ताव के आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है विधि सम्मत है जिसमें किसी तरह की कमी नहीं हैं क्योंकि सभी पक्षकारों की सहमति से हल्का पटवारी व आर. आई. मौके पर पक्षकारान के कब्जा काश्त के अनुसार उभयपक्षकारान के रूबरू विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया है जो विभाजन प्रस्ताव मौके पर पक्षकारान के कब्जा काश्त अनुसार सही है। मौके की यथास्थिति का आदेश था उसके बावजूद अपीलांट द्वारा टांके का निर्माण और तारबंदी की गई। तहसीलदार स्वयं द्वारा मौके पर जाकर अपीलाधीन आराजी का विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया। समाधान हेतु अपीलांट चेनाराम की खातेदारी भूमि मे आने जाने हेतु उत्तरदाता अपनी खातेदारी भूमि में से रास्ता देने हेतु तैयार है। लेकिन अपीलांट ने तय कर रखा है कि अपीलाधीन आराजी का मुझ उत्तरदाता के जीवनकाल में बंटवारा नहीं करने देना। अपीलांट द्वारा उतरदाता को नाहक तंग व परेशान करने की नियत से गलत रूप से अपील पेश की गई है जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने वादग्रस्त भूमि की सही विधिवत हिस्से अनुसार घोषणा कर बंटवारा किया गया है। अतः अपीलांटस की अपील को खारिज फरमाया जावे।

पत्रावली का अवलोकन व अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को साक्ष्य सबूत पेश करने हेतु सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 28.06.2018 की पालना में प्राप्त विभाजन प्रस्ताव तैयार करते वक्त राजस्थान टिनेन्सी (सरकारी) नियम 1955

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

के नियम 20 से 21 की पालना नहीं की गई है तथा विभाजन प्रस्ताव का मजमून ही साबित कर देता है कि तहसीलदार स्वयं द्वारा मौका मुआयना नहीं किया गया है। तहसीलदार को बंटवारे के मामले में स्वयं मौका देखना चाहिए था जबकि हस्तगत प्रकरण में विभाजन प्रस्ताव पर तहसीलदार के प्रतिहस्ताक्षर किये हुए हैं। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री जिस विभाजन प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए पारित की उक्त विभाजन प्रस्ताव को तैयार करते वक्त अपीलांटगण को सूचना/नोटिस दिये बिना उनकी अनुपस्थिति में मौके पर कब्जा काश्त के विपरीत तैयार किया गया। अपीलांट चेनाराम के हिस्से में रखी भूमि पर आने जाने हेतु रास्ते का प्रावधान भी नहीं किया गया। हस्तगत प्रकरण में बंटवारा By Metes & Bounds सिद्धांत के आधार पर नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने से पूर्व विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांटगण की अपील रिमाण्ड करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर, बालोतरा द्वारा राजस्व वाद संख्या 187/2017 बअनवान गंगाराम बनाम भंवराराम वगैरह में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.01.2023 को अपास्त किया जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित मौका दिया जाकर तहसीलदार स्वयं से मौका दिखवाकर नियमानुसार भूमि की गुणवता, स्थायी अलामात/कब्जे/मार्ग को मद्देनजर रखते हुए रखते हुए बाई मीटस एण्ड बाउंडस विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय अधिकतम तीन माह में पारित करे। उभयपक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 17.04.2025 को उपस्थित हों। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के उक्त दिनांक से पूर्व लौटाया जावे।

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 02.04.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर